आर.एस. नरूला, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष

मनजीत कौर, ... प्रार्थी।

बनाम

गुरदयाल सिंह गंगावाला, ... प्रतिवादी।

1977 का सिविल संशोधन संख्या 287

निर्णय लिया गया: 8 अगस्त, 1977

सिविल प्रक्रिया संहिता (*1908** का V) - ***आदेश 9 ***नियम* 9** - विवाह विधि (***संशोधन***) अधिनियम (***1976*** का ***LXVIII***) ***द्वारा संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम* (1955 *का XXV*)** - ***धारा* 10, 13 *और* 21 - *न्यायिक अलगाव के लिए याचिका डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई - बहाली के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया - कार्रवाई के समान कारण पर तलाक के लिए बाद की*** याचिका - आदेश 9 ***नियम* 9 - *क्या लागू होता है ताकि बाद की याचिका पर रोक*** लगाई जा सके।

और रूप:

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 21 में कहा गया है कि अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों और ऐसे नियमों के अधीन जो उच्च न्यायालय इस संबंध में बना सकता है, अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही को "नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा जहां तक संभव हो, विनियमित किया जाएगा"। अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान चूक में कार्यवाही को खारिज करने या उनकी बहाली या उनकी बहाली न होने के प्रभाव से संबंधित नहीं है। न ही उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हिंदू विवाह (पंजाब) नियम, 1956 में निहित कोई नियम इस मामले से निपटता है। इसलिए धारा 21 के संचालन द्वारा संहिता के आदेश 9 नियम 9 के

प्रावधानों को लागू करने से कोई परहेज नहीं है। धारा 21 में जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, उसमें "जहां तक हो सकता है" अभिव्यक्ति में संहिता के केवल उन प्रावधानों की प्रयोज्यता शामिल नहीं है जो अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकते हैं। इस अभिव्यक्ति में संहिता के विभिन्न प्रावधानों का संदर्भ है और इसका अर्थ केवल यह है कि संहिता के वे सभी प्रावधान अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होंगे जो न तो अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं, न ही इसकी योजना या उद्देश्य के विपरीत हैं। इसका अर्थ यह नहीं है और न ही यह हो सकता है कि संहिता में निहित प्रक्रिया के एक विशेष नियम को एक मामले पर लागू किया जा सकता है लेकिन दूसरे पर नहीं या एक मामले में इसे पूरी ताकत के साथ लागू किया जा सकता है और दूसरे में इसकी पूरी कठोरता के साथ नहीं। इस प्रकार, संहिता के आदेश 9 नियम 9 द्वारा विनियमित किए जा रहे अधिनियम के तहत कार्यवाही में कोई बाधा नहीं है। यह नियम ठोस नीति पर आधारित है। यह अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी प्रतिवादी को कानून द्वारा कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(पैरा 4)।

सी.पी.सी. की धारा **115** के तहत ***चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीश श्री चरण सिंह टिवाना की अदालत*** के **14*जनवरी*, 1977** के आदेश में संशोधन के लिए याचिका, जिसमें ***प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दे पर फैसला किया गया था और कहा गया था कि मामला अब अपने गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ेगा।***

याचिकाकर्ता की ओर से वकील विजय झांजी।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ओपी अहलूवालिया।

निर्णय

आर एस नरूला, मुख्य न्यायाधीश।

(1) एकमात्र प्रश्न जो श्री चरण सिंह तिवाना, जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय के 14 जनवरी 1977 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए इस याचिका में निर्णय की मांग करता है, वह यह है कि आदेश 9 के नियम 9 के प्रावधान हैं या नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का 25) (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) के तहत दायर न्यायिक अलगाव या तलाक के आवेदनों पर लागू होती है।

(2) इस याचिका को जन्म देने वाले प्रासंगिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। याचिकाकर्ता की शादी प्रतिवादी से हुई थी। 4 मार्च, 1976 को, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि उसने 11 नवंबर, 1973 को प्रतिवादी को छोड़ दिया था, जो याचिका की प्रस्तुति से पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए है। उस आवेदन को 3 जून, 1976 को प्रतिवादी की उपस्थिति के डिफ़ॉल्ट में अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता उस दिन मौजूद था और संहिता के आदेश 9 के नियम 8 के तहत बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। इसके तुरंत बाद प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अपना वर्तमान आवेदन दायर किया। तलाक के लिए याचिका व्यावहारिक रूप से न्यायिक अलगाव के लिए पहले की याचिका की शब्दशः प्रति है। जिस एकमात्र आधार पर तलाक का दावा किया गया है, वह फिर से परित्याग का वही आरोप है। तलाक के लिए

प्रतिवादी के दावे का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि संहिता के आदेश 9 नियम 9 के तहत तलाक के लिए याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि प्रतिवादी ने न्यायिक अलगाव के लिए अपने मूल आवेदन को बहाल नहीं किया, जिसे वह विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम (1976 का 68) के लागू होने के बाद संशोधित कर सकता था ताकि इसके लिए डिक्री का दावा किया जा सके। तलाक जिसे संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद लंबित मामले में दावा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की इस दलील को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दे में डाल दिया गया था: -

पीठ ने कहा, "क्या आदेश नौ के तहत याचिका पर रोक लगाई जाती है। नियम 9 सी.पी.सी.

(3) पुनरीक्षण के अधीन इस आदेश द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश ने माना है कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें आदेश 9, नियम 9 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है क्योंकि यदि उस नियम की कठोरता मामले पर लागू की जाती है तो यह प्रतिवादी के लिए वास्तविक कठिनाई पैदा करेगा।

(4) मैं ऐसी स्थिति की कल्पना करने में असमर्थ हूं जिसमें किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों के आधार पर अदालत के विवेक पर प्रक्रिया का एक विशेष नियम लागू किया जा सकता है और दूसरे मामले पर नहीं। यदि आदेश 9 का नियम 9 अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होता है, तो यह सभी मामलों पर लागू होना चाहिए और *इसके विपरीत*। अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो उच्च न्यायालय इस संबंध में बना सकता है, अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियों को "नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा जहां तक हो सके, विनियमित किया जाएगा"। अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान चूक में कार्यवाही को खारिज करने या उनकी बहाली या उनकी बहाली के प्रभाव से संबंधित नहीं है और न ही उच्च न्यायालय द्वारा बनाए

गए हिंदू विवाह (पंजाब) नियम, 1956 में निहित कोई नियम इस मामले से निपटता है। याचिकाकर्ता के अनुसार धारा 21 के संचालन से संहिता के आदेश 9, नियम 9 के प्रावधानों को लागू करने से कोई परहेज नहीं है। दूसरी ओर, प्रतिवादी (पति) के वकील श्री ओपी अहलूवालिया ने तर्क दिया है कि धारा 21 में "जहां तक हो सकता है" शब्दों द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए संहिता के किसी विशेष प्रावधान को लागू करने या न करने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है। मैं इस संबंध में उनसे सहमत नहीं हूं। धारा 21 में जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, उसमें "जहां तक हो सकता है" अभिव्यक्ति में संहिता के केवल उन प्रावधानों की प्रयोज्यता शामिल नहीं है जो अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकते हैं। इस अभिव्यक्ति (जहां तक हो सके) में संहिता के विभिन्न प्रावधानों का संदर्भ है और इसका अर्थ केवल यह है कि संहिता के वे सभी प्रावधान अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होंगे जो न तो अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं और न ही इसकी योजना या उद्देश्य के विपरीत हैं। इसका अर्थ यह नहीं है और न ही यह हो सकता है कि संहिता में निहित कोई विशेष नियम या प्रक्रिया एक मामले में लागू की जा सकती है, लेकिन दूसरे पर नहीं, या यह कि एक मामले में इसे पूरी ताकत के साथ लागू किया जा सकता है और दूसरे में इसकी पूरी कठोरता के साथ नहीं। मुझे संहिता के आदेश 9, नियम 9 द्वारा विनियमित अधिनियम के तहत कार्यवाही में ऐसी कोई बाधा नहीं मिली है। यह नियम ठोस सार्वजनिक नीति पर आधारित है। यह अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित है कि किसी भी प्रतिवादी को कानून द्वारा कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) *तिरुकप्पा* बनाम *कमलम्मा* [(1)] में, मैसूर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह माना गया था कि संहिता के आदेश 9 के नियम 8 और 9 के प्रावधान अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्यवाही के लिए लागू होते हैं, और इसलिए, याचिकाकर्ता के डिफ़ॉल्ट के पेश होने के लिए याचिका को खारिज करने वाले आदेश को संहिता के आदेश 9 के नियम 8 के

तहत किए गए आदेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। और याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय आदेश 9 के नियम 9 के तहत प्रदान किया गया टोन है। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि आदेश 9 के नियम 8 और 9 के प्रावधान नागरिक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले न्यायालयों द्वारा पीढ़ियों से पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी हद तक हिंदू विवाह अधिनियम के किसी भी प्रावधान या नीति के प्रतिकूल है। उन्हें अधिनियम की धारा 21 के आधार पर कार्यवाही पर लागू किया जाना चाहिए। यह जोड़ा गया कि प्रावधान पार्टियों के दृष्टिकोण से काफी न्यायसंगत और उचित हैं और सिविल न्यायालयों के काम के उचित प्रेषण के दृष्टिकोण से काफी आवश्यक हैं। मैं उपरोक्त संबंध में मैसूर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के प्रत्येक शब्द से सम्मानपूर्वक सहमत हूं, प्रतिवादी द्वारा इसके विपरीत किसी भी भारतीय उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय का हवाला नहीं दिया गया है।

(6) मेरे समक्ष यह विवादित नहीं था कि प्रतिवादी द्वारा लाई गई दोनों कार्रवाइयां कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित थीं। हालांकि, संदेह के मामले में, *मोहम्मद खलील खान और* अन्य बनाम *महबूब अली मियां और अन्य* (2) के मामले में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप की आधिकारिक घोषणा का संदर्भ दिया जा सकता है। संहिता के आदेश 2, नियम 2 में "कार्रवाई का एक ही कारण" अभिव्यक्ति के अर्थ का प्रश्न प्रिवी काउंसिल के समक्ष उठा। यह देखा गया कि कार्रवाई के कारण का मतलब हर तथ्य है जो वादी के लिए साबित करना आवश्यक होगा यदि निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए पार किया जाए। उनके लॉर्डशिप ने माना कि यदि दो दावों का समर्थन करने के लिए सबूत समान हैं तो कार्रवाई का कारण समान है, लेकिन अगर दो मामलों में नेतृत्व किए जाने वाले सबूत अलग-अलग हैं, तो कार्रवाई के कारण भी अलग-अलग हैं, उस मामले के तथ्यों पर यह तय किया गया था कि वे तथ्य कहां हैं जो वादी को उनके नए मुकदमे में संपत्ति 'वाई' की वसूली का अधिकार देंगे,

संपत्ति 'एक्स' की वसूली के लिए उनके पूर्व मुकदमे में लगाए गए आरोपों के समान ही उनके शीर्षक को स्थापित करने के लिए, दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारण समान हैं।

(7) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 (इसके बाद संशोधन अधिनियम कहा जाता है) की धारा 7 (ए) (आईबी) द्वारा प्रमुख अधिनियम की धारा 13 में संशोधन के कारण पहले की याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया, जिसके तहत परित्याग का आधार पहली बार उन आधारों में जोड़ा गया था जिन पर उस धारा के तहत तलाक का दावा किया जा सकता था, और यही कारण है कि उन्होंने तलाक के लिए वर्तमान आवेदन उस आधार पर दायर किया, जिस पर धारा 13 के संशोधन से पहले अकेले न्यायिक अलगाव का दावा किया जा सकता था। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने संशोधन अधिनियम की धारा 39 (1) (आई) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रावधान है कि संशोधन अधिनियम के प्रारंभ में किसी भी न्यायालय में लंबित सभी याचिकाओं और वैवाहिक मामलों में कार्यवाही को ऐसे न्यायालय द्वारा निपटाया और तय किया जाएगा, यदि यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत याचिका या कार्यवाही है। जहां तक हो सकता है कि यह मूल रूप से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। उपरोक्त संशोधन अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के लिए न्यायिक अलगाव के लिए अपनी पिछली याचिका को खारिज करना आवश्यक नहीं था, वह इसे तलाक के लिए याचिका में संशोधन करके परिवर्तित कर सकता है और संशोधन अधिनियम की धारा 39 के तहत इसे जारी रख सकता है। प्रतिवादी के वकील ने मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) का उल्लेख किया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कहा गया है कि अधिनियम में निहित कुछ भी अधिनियम के प्रारंभ में लंबित न्यायिक अलगाव के लिए लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा। और ऐसी किसी भी कार्यवाही को जारी रखा जा सकता है और निर्धारित किया जा सकता है जैसे कि अधिनियम पारित नहीं

किया गया था। उस प्रावधान की मेरे समक्ष मौजूद मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रधान अधिनियम की धारा 29 (3) उस प्रावधान में उल्लिखित न्यायिक अलगाव आदि के लिए कार्रवाई से संबंधित है जो उस अधिनियम के लागू होने से पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अलावा अन्य अधिनियमों के तहत लंबित थे। जैसा कि यह हो सकता है, प्रतिवादी क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है या क्या करना चाहिए था, इससे कानून के शुद्ध क्षेत्राधिकार प्रश्न के उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस याचिका का भविष्य निर्भर करता है। एक पल के लिए भी यह सवाल नहीं उठाया गया कि यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि अधिनियम के तहत कार्यवाही को संहिता के आदेश 9 के नियम 8 और 9 द्वारा विनियमित किया जा सकता है या नहीं, न्यायिक अलगाव के लिए एक आवेदन और तलाक के लिए आवेदन दोनों को अधिनियम की धारा 21 के संचालन द्वारा मुकदमे के रूप में माना जाता है। यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि न्यायिक अलगाव के लिए पहले की याचिका को संहिता के आदेश 9 के नियम 8 के तहत प्रतिवादी (उस मामले में याचिकाकर्ता) की उपस्थिति के चूक में खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि दोनों याचिकाओं के लिए कार्रवाई का कारण याचिकाकर्ता द्वारा दो साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए कथित परित्याग था, हालांकि दो याचिकाओं में दावा की गई राहत अलग-अलग थी (पहले में न्यायिक अलगाव और दूसरी में तलाक)। याचिका दायर करने के तथ्य और दोनों के लिए कार्रवाई का कारण, इसलिए, समान थे। पहले मुकदमे की बहाली के लिए कोई आवेदन कभी दायर नहीं किया गया था। इन तथ्यों पर और ऊपर मेरे द्वारा चर्चा की गई कानून की स्थिति में, प्रतिवादी मुझे कार्रवाई के समान कारण के संबंध में तलाक के लिए वर्तमान आवेदन दायर करने से रोकता प्रतीत होता है, जो कि वही परित्याग है। इसलिए, इसके विपरीत विद्वान जिला न्यायाधीश का आदेश टिक नहीं सकता है।

(8) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं इस याचिका को अनुमति देता हूं और आदेश को उलट देता हूं; नीचे की अदालत और याचिकाकर्ता (पत्नी) के पक्ष में प्रारंभिक मुद्दे का फैसला

करें। प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी की तलाक की याचिका को संहिता के आदेश 9, नियम 9 द्वारा प्रतिबंधित होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

के.टी.एस.

---

(1) ए.आई.आर. 1966 मैसूर 1.

(2) ए.आई.आर. 1949 प्रिवी काउंसिल 78.

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा